पंजीकृत

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand

E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 2865 /7सी0 अल्मोड़ा दिनांक 24 नवम्बर 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या 37890/2018)।

संदर्भः **EDS** 06.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित हैः–

आपत्ति	निराकरण
1. प्रस्ताव की हार्ड प्रति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले भाग–2 एवं वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले भाग–3 प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।	बिन्दु सं0 1 लो0नि0वि0 से संबंधित नहीं है।
2. प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु अधिकृत अधिकारी के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी में दिनॉक पत्रांक 565 दिनॉक 15.02.2019 से जारी किया गया है किन्तु ऑनलाईन अपलोड किया गया प्रमाण पत्र में पत्रांक 708 दिनॉक 12.02.2021 को निर्गत किया गया है।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों एवं ऑनलाईन पोर्टल पर अधिकृत अधिकारी के संबंध में दिये गये प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न एवं ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर लिया गया है।
3. प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 2006 के प्रपत्र–23 से 23.02 छायाप्रति संलग्न किये गये है, मूल प्रति संलग्न की जाय।	प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 2006 के प्रपत्र–23 से 23.02 के प्रपत्र मूल में संलग्न कर लिये गये हैं।
4. प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं किया गया है।	बिन्दु सं0 4 लो0नि0वि0 से संबंधित नहीं है।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo reference map के स्थान पर गूगल मैप संलग्न किया गया है।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo reference map संलग्न कर लिया गया है।
6. प्रस्ताव में परियोजना का स्थलीय विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	एस0ओ0पी0 के अनुसार स्थलीय विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाना है।
7. भूमिधरों व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य करार की दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न नहीं की गयी है।	भूमिधरों व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य करार की दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न कर ली गयी है।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित 3.442 है0 के दुगुने क्षेत्र अर्थात 6.884 है0 हेतु संलग्न की जानी है, किन्तु प्रस्ताव में 9.5 है0 की योजना (छाया प्रति में) संलग्न की गयी है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 6.884 है0 की वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न कर ली गयी है।
9. पथ वृक्षारोपण योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गयी है।	पथ वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न की गयी है। कृपया अपने स्तर से प्रपत्र हस्ताक्षरित करने की कृपा करें।

10. चूँकि प्रश्नगत मोटर मार्ग के संरेखण में बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं किन्तु बॉज वृक्ष प्रभावित होने की दशा में वन संरक्षक की निरीक्षण आख्या/संस्तुति संलग्न नहीं की गयी है।	बिन्दु सं0 10 लो0नि0वि0 से संबंधित नहीं है।
11. 5.00 कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मात्र 04 मलवा निस्तारण चिन्हित किये गये है जो औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। कृपया स्थिति स्पष्ट की जाये।	वृक्षों के अत्यधिक पातन के दृष्टिगत नाप भूमि में 4 मलवा निस्तारण क्षेत्र चयनित किये गये है। चयनित क्षेत्रों में ही मलवा निस्तारण किया जायेगा।
12. सीमांकन हेतु पीलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।	सीमांकन हेतु पीलरों का प्राक्कलन अपने स्तर से तैयार करवाने की कृपा करें। पीलरों के निर्माण में आने वाले व्ययभार को वहन करने का प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है।
13. प्रस्ताव में समस्त प्रतियों में Online Part-I,II तथा III की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाय।	प्रस्ताव के समस्त प्रतियों में Online Part-I संलग्न कर लिया गया है। Part-II अपने स्तर से प्रेषित करने की कृपा करें।
14. प्रस्ताव में कतिपय अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न की गयी है, मूल प्रति संलग्न की जाय।	प्रमाण पत्र मूल में एवं सत्यापित प्रतियाँ संलग्न कर ली गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 3 न0 मूल में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।

पत्रांकः– 2865 /7 सी0 तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।